2023/167

श्रीमान्जी

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांक – पंजी0 / 11 / 2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी अजय कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद, निवासी– वार्ड नम्बर 3, चक 5एमएनडब्ल्यू, 3एफडीएम, तहसील–सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, मूल रसीद, वारिसान प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि मेरे दादा मनफूल राम पुत्र ज़िराज राम, निवासी 5 एमएनडब्ल्यू, 9 एफडीएम फरीदसर, तहसील–सूरतगढ़, जिला– श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 05.05.2015 को करवाई गई थी, उनका स्वर्गवास दिनांक 30.06.2022 को हो चुका है, जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाहान गिरधारी लाल पुत्र श्री लाधुराम एवं पवन कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश सुथार ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रामगोपाल स्वामी श्रीगंगानगर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

5/12/23

जिला पंजीयक महोदय